# ग्राम पंचायत गंगथ, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176204 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

## भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गंगथ, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–**

**प्रधानः–**

| **क्र॰स॰** | **नाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| 1 | श्री सुरेन्द्र कुमार | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**सचिव :–**

| **क्र॰स॰** | **नाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| 1 | श्री मोहिन्द्र सिंह | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**तकनीकी सहायक :–**

| **क्र॰स॰** | **नाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| 1 | श्री रामकुमार | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**ग्राम रोजगार सहायक :–**

| **क्र॰स॰** | **नाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| 1 | श्री मुकेश सिंह | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

### (ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत गंगथ के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

| क्र0 सं0 | पैरा सं॰ | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4(ग) | रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना | 4.26 |
| 2 | 6.1 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 52.32 |
| 3 | 7.1 | पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना | 4.30 |
| 4 | 8.1 | दुकानों के किराये का वसूली हेतु शेष पाया जाना | 1.97 |
| 5 | 9.1 | विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना | 0.09 |
| 6 | 10.1 | क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना। | 11.05 |
| 7 | 10.2 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना | 2.54 |
| 8 | 10.3 | खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना | 0.50 |
| 9 | 11 | मूल बिल पर भुगतान न करके प्रोफार्मा बिल पर करना | 0.35 |
| 10 | 12 | बिल/वाउचर मौजूद न होना | 0.12 |
| 11 | 14 | माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना | 12.80 |

## भाग–दो

### 2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत गंगथ के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02.01.2024 से 06.01.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया।

आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

| वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2021–22 | 05/2021 | 02/2022 |
| 2022–23 | 11/2022 | 03/2023 |

**अस्वीकरणः–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।**

## 3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/–09 दिनांक 06.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

## 4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/–04 दिनांकः 02.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

**1.स्वः–स्त्रोतः–**

| अवधि | अथशेष | प्राप्ति | योग (कॉलम 2+3) | व्यय | अन्तशेष (कॉलम 4–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021-22 | 568243 | 513870 | 1082113 | 458161 | 623952 |
| 2022-23 | 623952 | 1180921 | 1804873 | 360559 | 1444314 |

**2.अनुदान:–**

| अवधि | अथशेष | प्राप्ति | योग (कॉलम 2+3) | व्यय | अन्तशेष (कॉलम 4–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021-22 | 5219038.97 | 2386056.25 | 7605095.22 | 1358154.7 | 6246940.52 |
| 2022-23 | 6246940.52 | 4084774 | 10331714.52 | 5099403.7 | 5232310.82 |

**कुल योग (1+2)** 1444314 +5232310.82 = 6676624.82

## (ख). बैंक समाधान विवरणी:–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़बही/वित्तीय स्थिति से ₹66,76,624.82 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹71,02,257.16 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

| | **बैंक खातों की विवरणी:–** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र0 सं0** | **विवरण** | **बैंक** | **खाता** | **अन्त शेष (₹)** |
| 1 | स्व:स्त्रोत/तीसरा वित | का•के•सह•बैंक गगंथ | 20031004931 | 1431318 |
| 2 | तीसरा वित्त | का•के•सह•बैंक गगंथ | 50055717023 | 239 |
| 3 | आई.ए.वाई | का•के•सह•बैंक गगंथ | 50055716891 | 1859 |
| 4 | वी.के.वी.एन.वाई | का•के•सह•बैंक गगंथ | 50055717045 | 431597.39 |
| 5 | एम.पी.लेड | का•के•सह•बैंक गगंथ | 50055717012 | 193634 |
| 6 | एस.डी.पी | का•के•सह•बैंक गगंथ | 50055717090 | 262553.50 |
| 7 | आर.ए.वाई/ए.ए.वाई | का•के•सह•बैंक गगंथ | 50055717078 | 68110 |
| 8 | एन.आर.एच.एम/एस.बी.एम | का•के•सह•बैंक गगंथ | 50055716937 | 26363 |
| 9 | 14वाँ वित्तायोग | का•के•सह•बैंक गगंथ | 50055716926 | 21652.97 |
| 10 | 15वाँ वित्तायोग | एच.डी.एफ.सी जस्सूर | 50100358468012 | 4664843.30 |
| 11 | हस्तगत शेष | | | 87 |
| बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग:– | | | | ₹7102257.16 |
| **दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–** | | | | |
| रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेष:– | | | | ₹6676624.82 |

| | |
|---|---|
| पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः– | ₹7102257.16 |
| अन्तरः– | **425632.34** |

**नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।**

**(ग) रोकड़बही का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹4.26 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत गंगथ द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹425632.34 का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/05 दिनांकः 03.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 06.01.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एंव रोकड़बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–**

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/08 दिनांकः 05/01/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर

में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06.01.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

## (ड.) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत गंगथ द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों की, एस.डी.पी, वी.के.वी.वाई.एन, 14वां व 15वां वितायोग की अलग–अलग, सयुंक्त रोकड़बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, तीसरा वित, आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एंव निर्देशो के विरुद्ध खाता संख्या 20031004931 में ही प्राप्त अनुदानों को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के लिये अलग–2 खाते भी खोले गये थे। जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है तथा नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नही किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/08 दिनांकः 05.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06.01.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं स्कीमवार खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं निर्देशानुसार स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

## 5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹5,67,898 से ₹14,31,318 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/08 दिनांकः 05.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06.01.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार, नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

## 6.1 अनुदान की राशि ₹52.32 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–04 दिनांक 02.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted] 1 व [redacted] 2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹52,32,310.82 की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

| क्र0सं0 | अनुदान का नाम | दिनांक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1. | आई.ए.वाई | 31.03.2023 | 1862 |
| 2 | ए.ए.वाई | 31.03.2023 | 68110 |
| 3 | एम.पी.लेड | 31.03.2023 | 193634 |
| 4 | एन.आर.एच.एम / एस.बी.एम | 31.03.2023 | 26363 |
| 6 | वी.के.वी.वाई.एन | 31.03.2023 | 523196.75 |
| 7 | एस.डी.पी | 31.03.2023 | 220453.50 |
| 8 | 14वाँ वित्तायोग | 31.03.2023 | 21353.97 |
| 9 | 15वाँ वित्तायोग | 31.03.2023 | 4177337 |
| | | **कुल जोड** | 5232310.22 |

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो

सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन(Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

## 7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹4.30 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–04 दिनांकः 02/01/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पति कर/गृहकर की मद में ₹4,30,205/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/08 दिनांकः 05.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06.01.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है। प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 7.2 गृहकर माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के प्रारूप 10 पर पंचायत के गृहकर की माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर सम्पत्तिकर का माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "3"** पर दर्शाए दिनांक 31.03.2023 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः गृहकर/सम्पत्तिकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

## दुकानों के किराये से आयः–

### 8.1 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹1.97 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2024/–06 दिनांकः 03/01/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार **दिनांक 31.03.2023 तक दुकानों के किराये की ₹1,97,000/– की राशि वसूली हेतु शेष थी,** जिसकी सत्यता की जाँच अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी क्योंकि पंचायत द्वारा दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **दिनांक 31.03.2023 को** दुकान किराया वसूली हेतु शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी।

### 8.2 दुकानों के किरायेदारों के साथ किराया अनुबन्ध न करनाः–

पंचायत सचिव ने कार्यालय पत्र क्रमाँक 01 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा अंकेक्षण के दौरान सूचित किया कि पंचायत द्वारा उक्त सम्पत्तियों को किराये पर देते समय किरायेदारों के साथ किसी प्रकार का अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

उपरोक्त अनियमितताओं के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/07 दिनांकः 06.01.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट क़रने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 01 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि बकाया दुकान किराया की वसूली कर ली जायेगी तथा अन्य अनियमितताओं को भी पूरा कर लिया जायेगा। प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि बकाया किराया की वसूली करने के लिये अपेक्षित कदम यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके पंचायत हितों की सुरक्षा हेतु किरायेदारों के साथ नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये ताकि भविष्य में किराया वसूली में दिक्कत न आये जिसकी अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

### 9.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹0.09 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार 30 दिनों के भीतर विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30

दिनो के बाद व 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹ 50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 38 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई थी। जबकि उक्त वर्णित दरो के अनुसार ₹9200 वसूल किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 08 दिनांकः 05 / 01 / 2024 के अर्न्तगत सचिव ग्राम पंचायत गंगथ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06.01. 2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 9.2 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत गंगथ द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि |
|---|---|---|
| 1. | 2021–22 | 2400 |
| 2 | 2022–23 | 1800 |
| | **जोड** | **4200** |

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/8 दिनांक: 05/01/2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत गंगथ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः उक्त उल्लेखित राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाये जाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 10.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹11.05 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गंगथ के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"6"** पर संकलित राशि **₹11,05,362/—** के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे धन व स्टॉक के दुरूपयोग, रिसन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/08 दिनांक: 05/01/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही हैं। प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः प्रत्येक क्रय किये गये सामान का नियमानुसार समुचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 10.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.54 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत गंगथ के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"6"** में दिए गए विवरणानुसार ₹2,54,498/–का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/08 दिनांकः 05/01/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06/01/2024 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 10.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.50 लाख की राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"7"** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹50444.25 का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/08 दिनांकः 05.01.2024 द्वारा अनुरोध किया

गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 दिनांक 06/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कनसेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**11 ₹0.35 लाख का भुगतान मूल बिल पर न करके प्रोफार्मा बिल पर करनाः–**

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किये गये प्रत्येक व्यय को समुचित वाउचर से समर्थित किया जाना अपेक्षित है।

चयनित माह के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि वाउचर संख्या 14 दिनांक 05.02.2022, मै0 सोरभ गोल्डन टाईल्स एडं हार्डवेयर स्टोर गंगथ इन्टरलॉक टाइल्स खरीदने हेतु किये गये भुगतान ₹34645/– के व्यय के विरूद्व विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता का उचित आपूर्ति बिल उपलब्ध नहीं था। इस मामले में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, ही आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई थी। आपूर्तिकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/08 दिनांकः 05/01/2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गंगथ के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06.01.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मूल बिल को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः इस प्रकरण तथा इसके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत विभागीय स्तर पर गहन जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार

कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

## 12 राशि ₹0.12 लाख के बिल/वाउचर मौजूद न होना:–

अंकेक्षण के दौरान वी.के.वी.वाई.एन अनुदान की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 09 दिनांक 15.03.2023 को मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई जसूर को सीमेंट खरीद हेतु ₹12210/– का भुगतान किया गया था। लेकिन उक्त भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/08 दिनांक: 05/01/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव गंगथ के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06.01.2023 द्वारा सूचित गया कि उक्त बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जायेगे।

अतः उक्त व्यय के समर्थित बिल/वाउचर दिखाये जाने सुनिश्चित किया जायें अन्यथा भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित अनुदान में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 13 सभा निधि में प्राप्त राशि ₹0.25 लाख को बैंक में जमा न करवाने व सीधे खर्च करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बंधित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गंगथ के लेखों की अंकेक्षण जाँच के दौरान पाया गया कि स्वः–स्त्रोंतो से वसूल की गई निम्नविवरणानुसार आय को बैंक में जमा न करवाकर फोटोस्टेट, प्रिटिंग प्रैस छपवाई, स्टेशनरी, विविध व्यय इत्यादि के लिये सीधे खर्च (नकद में भुगतान) कर दिया गया था, जिससे पंचायत स्वः–स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह न केवल गम्भीर अनियमितता है बल्कि आपतिजनक भी है। इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/08 दिनांक: 05/01/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत गंगथ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06.01.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से नकद में भुगतान नहीं किया जा रहा। दिया गया उतर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

आय का विवरणः—

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के दौरान प्राप्त आय ₹ | बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹) | बैंक में कम जमा करवाई गई राशि (₹) | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 2022—23 | 24921 | शून्य | 24921 | गृह कर, दुकान किराया, विवाह शुल्क |

व्यय का विवरणः—

| क्रम संख्या | वाउचर स0/ दिनांक | रोकड़बही पृष्ठ सख्यां | व्यय विवरण | व्यय राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/16.06.21 | 24 | प्रिटिंग प्रैस छपवाई | 3220 |
| 2 | 13,14/27.06.21 | 25 | स्टेशनरी | 3751 |
| 3 | 26/23.10.21 | 32 | स्टेशनरी | 2700 |
| 4 | 46/29.03.22 | 41 | स्टेशनरी | 1800 |
| 5 | 18/23.09.22 | 09 | स्टेशनरी,विविध व्यय | 4800 |
| 6 | 22/18.10.22 | 11 | स्टेशनरी | 2200 |
| 7 | 30/29.12.21 | 16 | प्रिंटर मुरम्म्त | 1900 |
| 8 | 44,46/31.03.23 | निल | फोटोस्टेट | 1850 |
| 9 | 43/31.03.23 | निल | लेपटॉप मुरम्मत | 2700 |
| | | | कुल योग | **24921** |

## 14 ₹12.80 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹12,79,526/— के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः—

| क्र0 सं0 | अनुदान | वाउचर सख्या/दिनांक | निर्माण कार्य का नाम | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एस.डी.पी | 05/05.02.22 | निर्माण पक्का रास्ता पुरषोतम हाउस से | 87838 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | लाल चन्द हाउस भोरेया दा लाहड–1 | |
| 2 | वी.के.वी. वाई.एन | 02 / 05.02.22 | निर्माण पक्का रास्ता रिटेंनिग वाल नजदीक सुरिन्द्र कुमार, इच्छर सिंह घर वार्ड–3 | 61486 |
| 3 | 14वां वित | 08,14 / 01.02.22,05.02.22 | निर्माण रास्ता / नाली मेन गली से सराडा कुआं वार्ड–8 | 153808 |
| 4 | 14वां वित | 09,11,13 / 01.02.22,05.02.22 | निर्माण रास्ता नाली व डंगा मेन बाजार से रमेश हाउस वार्ड–10,11 | 160010 |
| 5 | 14वां वित | 10 / 01.02.22 | निर्माण रास्ता व नाली मेन गली सतपाल व हंसराज घर तक वार्ड–1 | 85000 |
| 6 | 14वां वित | 12 / 01.02.22 | नि0रास्ता व नाली मेन गली से सतपाल व हंसराज के घर तक वार्ड न0–1 | 22850 |
| 7 | वी.के.वी. वाई.एन | 09–13 / 15.03.23,21.03.23,22.03.23,31.03.23 | नि0 शैड निकट कम्युनिटी हाल | 77726 |
| 8 | 14वां वित | 17 / 15.03.23 | नि0 रास्ता व नाली पुली सडक से रतन घर –7 | 41107 |
| 9 | 14वां वित | 18 / 15.03.23 | नि0 रास्ता व नाली मेन गली से होशियार सिंह घर तक | 26826 |
| 10 | 14वां वित | 19,24 / 27.03.23,31.03.23 | नि0 रास्ता नाली सडक से पुरषोतम के घर –4 | 34052 |
| 11 | 14वां वित | 20,34 / 31.03.23 | नि0 रास्ता व नाली ओम प्रकाश के घर से ब्रहमी देवी के घर वार्ड–2 | 80164 |
| 12 | एस.बी.एम / 14वां वित | 23 / 31.03.23 | नि0 शौचालय जी.एस.एस.एस गर्ल स्कूल | 31260 |
| 13 | 14वां वित | 25,27,32 / 31.03.23 | नि0 रास्ता नाली पुली मेन सडक से रत्न चन्द के घर तक वार्ड–7 | 206365 |
| 14 | 14वां वित | 26,28 / 31.03.23 | नि0 रास्ता व नाली मेन सडक से होशियार सिंह घर तक वार्ड–5 | 72435 |
| 15 | 14वां वित | 29 / 31.03.23 | नि0 रास्ता व नाली पीपल टाले | 40650 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जयपाल, जसवीर सिंह वार्ड–5 | |
| 16 | 14वां वित | 30,31,33/31.03.23 | नि0 रास्ता मेन सडक से पुरषोतम घर ,गोपाल भारद्वाज–4 | 65449 |
| 17 | 14वां वित | 35/31.03.23 | निर्माण रास्ता नालिया एस.सी मुहल्ला वार्ड–1 | 32500 |
| | | | **कुल योग** | **1279526** |

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत गंगथ से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/08 दिनांकः 05/01/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

## 15 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या 14 में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के **"परिशिष्ट – ई"** में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगथ द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5. निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/08 दिनांकः 05.01.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गंगथ को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 16 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/04 दिनांकः 02.01.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06/01/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0 स॰ | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश रजिस्टर | 01 | 12 |
| 2. | क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट | 8 | 29(4) |
| 3. | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 09 | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | मासिक बैंक समाधान विवरणी | —— | 7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी |
| 5 | वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है। | 11 | 37 |
| 6 | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61(2) |
| 7 | निर्माण कार्य रजिस्टर | ........ | 103 |
| 8 | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72 (1) ए बी |
| 9 | पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर | ........ | ............ |
| 10 | निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर | 31 | 95(1) |

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

## 17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–04 दिनांकः 02.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 01 दिनांक 06/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

## अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

## 18.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:–

रसीद बुकों के स्टॉक की जाँच में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 18.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत गंगथ द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत गंगथ के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय—2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

12 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

1222 – 1226 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)387/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गंगथ विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

12 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का0/प्रति

# ANNEXURE -1 पैरा सं०-4(क)

FINANCIAL POSITION OF GP GANGATH FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 568243 | 513870 | 1082113 | 458161 | 623952 |
| 2022-23 | 623952 | 1180921 | 1804873 | 360559 | 1444314 |

2 GRANTS-IN-AID

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 5219038.97 | 2386056.25 | 7605095.22 | 1358154.70 | 6246940.52 |
| 2022-23 | 6246940.52 | 4084774 | 10331714.52 | 5099403.70 | 5232310.82 |

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गगथ
वि.ख. इन्दौरा, कांगड़ा(हि.प्र.)

23

# ANNEXURE -2 पैरा संख्या-"6.1"

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP GANGATH FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

| SR.NO | PARTICULARS | YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAY | 2021-22 | 1758 | 52 | 1810 | 0 | 1810 |
| | | 2022-23 | 1810 | 52 | 1862 | 0 | 1862 |
| 2 | AAY | 2021-22 | 64271 | 1950 | 66221 | 0 | 66221 |
| | | 2022-23 | 66221 | 1889 | 68110 | 0 | 68110 |
| 3 | MPLAD | 2021-22 | 182721 | 5543 | 188264 | 0 | 188264 |
| | | 2022-23 | 188264 | 5370 | 193634 | 0 | 193634 |
| 4 | NRHM/SBM | 2021-22 | 24876 | 755 | 25631 | 0 | 25631 |
| | | 2022-23 | 25631 | 732 | 26363 | 0 | 26363 |
| 5 | VKVNY | 2021-22 | 355008 | 197108 | 552116 | 61486.25 | 490629.75 |
| | | 2022-23 | 490629.75 | 204298 | 694927.75 | 171731 | 523196.75 |
| 6 | SDP | 2021-22 | 249911 | 107583 | 357494 | 175674.50 | 181819.50 |
| | | 2022-23 | 181819.50 | 578487 | 760306.50 | 539853 | 220453.50 |
| 7 | 14TH FIN | 2021-22 | 3428354.97 | 234827.25 | 3663182.22 | 942262.25 | 2720919.97 |
| | | 2022-23 | 2720919.97 | 74027 | 2794946.97 | 2773593 | 21353.97 |
| 8 | 15TH FIN | 2021-22 | 912139 | 1659524 | 2571663 | 17.70 | 2571645.30 |
| | | 2022-23 | 2571645.30 | 2212184 | 4783829.30 | 606491.70 | 4177337.60 |
| 9 | MGNREGA | 2021-22 | 0 | 178714 | 178714 | 178714 | 0 |
| | | 2022-23 | 0 | 1007735 | 1007735 | 1007735 | 0 |

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गगथ
वि.ख. इन्दौरा, कांगड़ा(हि.प्र.)

(परिशिष्ट–"3" पैरा सख्यां "1-1" के सन्दर्भ में)

# कार्यालय ग्राम पचांयत गंगथ ,विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगडा हि0प्र0 176204

## दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 में 1060 तथा 2022–23 में 1080 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

| वितीय वर्ष | अथशेष | परिवार | गृहकर वार्षिक दर | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 323205 | 1060 | 50 | 53000 | 376205 | 0 | 376205 |
| 2022-23 | 376205 | 1080 | 50 | 54000 | 430205 | 0 | 430205 |
| | नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹ 430205/– है। | | | | | | |

Mohinder
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गंगथ
वि.ख. इन्दौरा, कांगडा(हि.प्र.)

25

(परिशिष्ट " 4 " पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में)

# कार्यालय ग्राम पंचायत गंगथ, विकास खण्ड इंदौरा, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176204

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम पंचायत में दुकानों एवं मकान का किराया वसूली हेतु शेषः-

पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत दुकानों की कुल संख्या 26 का ₹ 200 /- प्रति दुकान (प्रतिमाह) व 01 मकान का ₹ 300 /- प्रतिमाह की दर से :-

| वित्तीय वर्ष | अथशेष | दुकानों/मकान की संख्या | दर प्रति दुकान (प्रतिमाह) | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 105800 | 26+01 | 200/300 | 66000 | 171800 | 24000 | 147800 |
| 2022-23 | 147800 | 26+01 | 200/300 | 66000 | 213800 | 16800 | 197000 |

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गंगथ
वि.ख. इन्दौरा, कांगड़ा(हि.प्र.)

(26)

परिशिष्ट "5"

ग्राम पंचायत गंगथ, विकास खण्ड इंदौरा विवाह पंजीकरण शुल्क दिनांक 31-03-2023 तक वसूली हेतु शेष (पैरा संख्या " ૧.1 " में संदर्भित)

| क्र० सं० | नाम | विवाह की तिथि | पंजीकरण तिथि | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | कम वसूली गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मजीद दीन | 08-04-2021 | 20-04-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 2 | अंकुश कौंडल | 30-04-2021 | 31-05-2021 | 400 | 0 | 400 |
| 3 | सुमन शाह | 03-04-2021 | 31-05-2021 | 400 | 0 | 400 |
| 4 | अमरीश पलाया | 30-05-2021 | 06-06-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 5 | कृष्ण कुमार | 25-04-2021 | 06-06-2021 | 400 | 0 | 400 |
| 6 | रिम्पी | 08-05-2021 | 07-07-2021 | 400 | 0 | 400 |
| 7 | अर्पण कुमार | 28-07-2021 | 21-08-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 8 | कमल किशोर | 25-07-2021 | 24-08-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 9 | विनोद कुमार | 18-07-2021 | 18-08-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 10 | राहुल कुमार | 14-08-2021 | 07-09-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 11 | मान सिंह | 25-10-2021 | 08-11-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 12 | अभिषेक कुमार | 22-11-2021 | 03-12-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 13 | अरुण चौधरी | 01-12-2021 | 21-12-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 14 | राहुल देव | 01-12-2021 | 31-12-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 15 | सागर सिंह | 13-12-2021 | 10-01-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 16 | अनिल कुमार | 25-01-2022 | 08-02-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 17 | प्रदीप कुमार | 07-12-2021 | 08-03-2022 | 400 | 0 | 400 |
| 18 | अमित कुमार | 23-01-2022 | 24-03-2022 | 400 | 0 | 400 |
| 19 | विनय कुमार | 19-04-2022 | 10-05-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 20 | सन्नी कुमार | 10-05-2022 | 10-05-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 21 | रोहित कौंडल | 04-05-2022 | 10-05-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 22 | सुनील | 20-04-2022 | 16-05-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 23 | रिंकू कुमार | 21-05-2022 | 06-06-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 24 | शुभम | 26-04-2022 | 06-06-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 25 | सुनील कुमार | 31-07-2022 | 27-08-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 26 | विजय सिंह | 04-12-2022 | 16-12-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 27 | सलीम अली | 08-12-2022 | 24-12-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 28 | प्रशांत सांगरा | 09-12-2022 | 04-01-2023 | 200 | 0 | 200 |
| 29 | मोहम्मद असिफ़ | 11-12-2022 | 06-01-2023 | 200 | 0 | 200 |
| 30 | अमनदीप | 09-12-2022 | 06-01-2023 | 200 | 0 | 200 |
| 31 | दलबीर सिंह | 26-01-2023 | 03-02-2023 | 200 | 0 | 200 |
| 32 | सुनील कुमार | 14-12-2022 | 03-02-2023 | 400 | 0 | 400 |
| 33 | अशोक कुमार | 10-02-2023 | 28-02-2023 | 200 | 0 | 200 |
| 34 | शुभम कुमार | 17-02-2023 | 08-03-2023 | 200 | 0 | 200 |
| 35 | शम्मी कुमार | 01-01-2023 | 08-03-2023 | 400 | 0 | 400 |
| 36 | लेख राज | 10-02-2023 | 08-03-2023 | 200 | 0 | 200 |
| 37 | अभिषेक कुमार | 09-03-2023 | 24-03-2023 | 200 | 0 | 200 |
| 38 | सलवान | 02-03-2023 | 31-03-2023 | 200 | 0 | 200 |
| | | | कुल | 9200 | Nil | 9200 |

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गंगथ

(27)

## परिशिष्ट–"6"

ग्राम पंचायत गंगथ विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना। पैरा संख्या– "101" में संदर्भित।

| अनुदान | वो.स./ दिनांक | समाग्री का विवरण | विल.स./ दिनांक | मात्रा/रेट | आपूर्तिकर्ता | राशि ₹ | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1एस.डी.पी | 01/05.02.22 | सीमेंट बैग | 10409/05.02.22 | 250@351.33 | मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई नूरपुर | 87833 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 2.वी.के.वी.वाई.एन | 02/05.02.22 | सीमेंट बैग | 10410/05.02.22 | 175@351.33 | मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई नूरपुर | 61483 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 3.14वां वित | 08/01.02.22 | रेत<br>बजरी<br>पत्थर | 11/08.02.22 | 9cu3@1200<br>18cu3@1000<br>05cu3@800 | मैं0 केवल सिंह कलोत्रा जसूर | 10800<br>18000<br>4000 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 4.14वां वित | 09/01.02.22 | रेत<br>बजरी | 12/27.02.22 | 10cu3@1200<br>10cu3@1000 | मैं0 केवल सिंह कलोत्रा जसूर | 12000<br>10000 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 5.14वां वित | 10,11/01.02.22 | रेत<br>बजरी | 13,15/10.03.22,05.03.22 | 26cu3@1200<br>63cu3@1000 | मैं0 केवल सिंह कलोत्रा जसूर | 31200<br>63000 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 6.14वां वित | 13/05.02.22 | ईंटरलॉक टाईल्स (20mm) (18% GST के साथ) | 48,01,08/15.02.22,18.02.22 | 6600@14.68 | मैं0 सोरभ गोल्डन टाईल्स एंड हार्डवेयर स्टोर गंगथ | 114328 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 7.14वां वित | 14/05.02.22 | ईंटरलॉक टाईल्स (20mm) (18% GST के साथ) | 10,30,28,49/23.02.21,13.02.21,10.2.21,28.02.22 | 6900@14.68 | मैं0 सोरभ गोल्डन टाईल्स एंड हार्डवेयर स्टोर गंगथ | 119524 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 8.सभा निधि | 37/22.03.22 | स्टेशनरी | 166,171/02.11.22,01.10.23 | - | मैं0 शर्मा बुक डिपो चोगान गंगथ | 4850 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 9.वी.के.वी.वाई.एन | 09/15.03.23 | सीमेंट बैग | निल/निल | 30@407 | मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई नूरपुर | 12210 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 10.वी.के.वी.वाई.एन | 10/21.03.23 | ब्रिक | 75/12.03.23 | 1000@6.5 | मैं0 केवल सिंह कलोत्रा जसूर | 6500 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 11.वी.के.वी.वाई.एन | 11/22.03.23 | हार्डवेयर | निल/20.03.23 | - | मैं0 दर्शन कुमार हार्डवेयर स्टोर गंगथ | 3310 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 12.वी.के.वी.वाई.एन | 12/22.03.23 | कलर कोटड शीटस | 388,391/10.02.23,13.02.23 | - | मै चौधरी टेडर्स गंगथ | 55706 | स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई |
| 13.14वां वित | 17–19/15.03.23,27.03.23 | सीमेंट बैग | 93094,10492,93112/14.03.23,15.03.23,24.03.23 | 206@407 | मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई नूरपुर | 83842 | स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई |
| 14.14वां वित | 27–30/31.03.23 | रेत<br>बजरी<br>मिक्चर<br>वाटर टैंक | 83,84,81,86,80/निल,28.02.23,26.05.22,19.02.23 | 40cu3@1600<br>67cu3@1300<br>22days@600<br>24days@650 | मैं0 केवल सिंह कलोत्रा जसूर | 64000<br>87100<br>13200<br>15600 | स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई |
| 15.14वां वित | 31/31.03.23 | ईंटरलॉक टाईल्स (20mm) (18% GST के साथ) | 67/17.03.23 | 1600@14.83 | मैं0 सोरभ गोल्डन टाईल्स एंड हार्डवेयर स्टोर गंगथ | 27999 | स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं, दो निविदाये प्रस्तुत की गई |

1 पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गंगथ
वि.ख. इन्दौरा, कांगडा(हि.प्र.)

28

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.14वां वित | 32/31. 03.23 | ईंटरलॉक टाईल्स (20mm) (18% GST के साथ) | 66/16.03.23 | 3300@16.10 | मै0 सोरभ गोल्डन टाईल्स एंड हार्डवेयर स्टोर गंगथ | 62693 | स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं, दो निविदाये प्रस्तुत की गई |
| 17.14वां वित | 33/31. 03.23 | रेत<br>बजरी<br>मिक्चर<br>वाटर टैंक | 26/30.11.20 | 04cu3@1200<br>09cu3@1000<br>03days@500<br>04days@500 | मै0 केवल सिंह कलोत्रा जसूर | 4800<br>9000<br>1500<br>2000 | स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई |
| 18.14वां वित | 34,35/3 1.03.23 | रेत<br>बजरी<br>मिक्चर<br>वाटर टैंक | 27,25/30.11. 20 | 24cu3@1200<br>47cu3@1000<br>14days@500<br>16days@500 | मै0 केवल सिंह कलोत्रा जसूर | 28800<br>47000<br>7000<br>8000 | स्टॉक प्रविष्टियां, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई |
| 19.15वां वित | 11/28. 03.23 | सीमेंट बैग | 93095/14.03. 23 | 44@407 | मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई नूरपुर | 17908 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 20.15वां वित | 12/28. 03.23 | सीमेंट बैग | 93096/14.03. 23 | 25@407 | मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई नूरपुर | 10175 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| | | | | कुल जोड | | 1105362 | |

नोट:1. क्र०सं० 1 से लेकर 20 तक स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई थी।
2. क्र०सं० 12, 15 से 18 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।

Mohinder
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
वि.ख. इन्दौरा, कांगड़ा (हि.प्र.)

## परिशिष्ट–7

ग्राम पंचायत गंगथ खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि पैरा–"    " के सन्दर्भ में

| Name of Supplier | Vr. No. & Date | Bill No. & Date | Name of Item | Qty. (cft) | Qty. (cum) | Determining | Qty. (in MT.) | Royality (Per | Due Royality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TH FC | | | | | | | | | |
| M/s Kewal Singh Kalotra Jassur | 8-11/01.02.2021 | 11-13,15/8.2.22,27.2.22,10.3.22,5.3.22 | Sand | – | 45.000 | 1.600 | 72.000 | 80.00 | 5760.00 |
| | | | Bajri | – | 91.000 | 1.460 | 132.860 | 80.00 | 10629.00 |
| | | | Stone | – | 5.000 | 2.240 | 11.2 | 80.00 | 896.00 |
| do | 27-30/31.3.23 | 83,84,81,86,80/nil,28.2.23,26.5.22,19.2.23 | Sand | – | 40.000 | 1.600 | 64.000 | 80.00 | 5120.00 |
| | | | Bajri | – | 67.000 | 1.460 | 97.820 | 80.00 | 7825.60 |
| do | 33,34,35/31.3.23 | 26,27,25/30.11.20 | Sand | – | 28.000 | 1.600 | 44.800 | 80.00 | 3584.00 |
| | | | Bajri | – | 56.000 | 1.460 | 81.760 | 80.00 | 6540.80 |
| | | | | | | | | **Total** | 40355.40 |
| | | | | | | | | **25% Penalty** | 10088.85 |
| | | | | | | | | **G.Total** | **50444.25** |

Mohinder
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गंगथ
वि.ख. इन्दौरा, कांगड़ा(हि.प्र.)

29